

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम : मनीष कुमार जाटव, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 41 / 2024
दायर दिनांक : 06.06.2024
निर्णय दिनांक : 27.06.2024

1. प्रिंस पुत्र मनीष जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी सुदर्शनपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
2. पिकी पत्नी मनीष जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी सुदर्शनपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
3. ममता पुत्री मनीष जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी सुदर्शनपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
4. महेश पुत्र बदरी जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी सुदर्शनपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि वाके सुदर्शनपुरा तहसील दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 301 रकबा 0.44 है, खसरा नम्बर 304 रकबा 0.81 है. कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.25 है. के प्रार्थीगण व प्रार्थी महेश की माँ नर्बदा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं। जिस पर मौके पर प्रार्थीगण काबिज हैं। नर्बदा का देहान्त हो गया है जिसके वारिस प्रार्थीगण ही हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि में सेटलमेन्ट पूर्व कहीं भी कोई गैर मुमकिन नला अंकित नहीं था और ना ही मौके पर कोई नला था और ना ही आज दिन कोई नला है। भू प्रबन्ध सम्वत् 2041 लगायत 2060 में आराजी वादग्रस्त के खसरा नम्बर परिवर्तित होकर बीघा, बिस्वा की बजाय हैक्टर में अंकित कर दिया गया है। भू प्रबन्ध के दौरान प्रार्थीगण के नाम की खातेदारी खसरा नम्बर 301 रकबा 0.44 है. साबिक नम्बर 43/1/7 किस्म बंजड बीड से बने हैं। कानूनन सेटलमेन्ट विभाग व उनके कर्मचारियों को भूमि की किस्म परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था किन्तु सेटलमेन्ट विभाग ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर और प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 301 रकबा 0.44 है. भूमि सेटलमेन्ट पूर्व गैर मुमकिन नला अंकित नहीं होने तथा मौके पर कोई नला नहीं होने के बावजूद भी सेटलमेन्ट विभाग ने उक्त भूमि की किस्म बिना किसी अधिकार के गैर मुमकिन नला दर्ज कर दी जो गलत है। सेटलमेन्ट विभाग को पूर्व अनुसार ही वर्तमान इन्द्राज करना चाहिए था। सेटलमेन्ट विभाग को रिकॉर्ड परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं था। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा खसरा नम्बर 301 रकबा 0.44 है. का गैर मुमकिन नला के रूप में किया गया इन्द्राज अवैध अमान्य व प्रभावशून्य इन्द्राज है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके सुदर्शनपुरा तहसील दौसा स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 301 रकबा 0.44 है. किस्म गैर मुमकिन नला की जगह उक्त भूमि की किस्म बंजड बीड करने का आदेश देने की कृपा करें। तदनुसार तहसीलदार दौसा को उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन नला की बजाय बंजड बीड अंकित करने का आदेश देने की कृपा करें।




प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सुदर्शनपुरा तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 301 रकबा 0.44 है। किस्म गै.मु. नला, खसरा नम्बर 304 रकबा 0.81 है। किस्म बंजड कुल किता 2 कुल रकबा 1.25 है। भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण व नर्बदा पत्नी बदरी के नाम दर्ज है। मुताबिक साबिक रिकॉर्ड उक्त खसरा नम्बरान की सैटलमेंट पूर्व किस्म बंजड बीड दर्ज थी। मुताबिक साबिक रिकॉर्ड वर्तमान खसरा नम्बर 301 किस्म गै.मु. नला साबिक खसरा नम्बर 43/1/7 किस्म बंजड बीड से बना है। सैटलमेंट की कार्यवाही के दौरान साबिक खसरा नम्बर 43/1/7 से बने वर्तमान खसरा नम्बर 301 की किस्म सैटलमेंट विभाग की गलती से बंजड बीड के स्थान पर गै.मु. नला दर्ज कर दी गयी है। जबकि साबिक खसरा नम्बर 43/1/7 की किस्म बंजड बीड रही है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 301 की किस्म सैटलमेंट विभाग की गलती से बंजड बीड के स्थान पर गै.मु. नला दर्ज कर दी गयी है जिसे तहसीलदार दौसा ने भी अपने अपने जवाब में स्वीकार किया है। अतः प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 301 की किस्म गै.मु. नला के स्थान पर साबिक रिकॉर्ड अनुसार बंजड बीड दर्ज करने के आदेश फरमाये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 301 की सैटलमेंट विभाग की गलती से दर्ज वर्तमान किस्म गै.मु. नला को साबिक रिकॉर्ड अनुसार बंजड बीड दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत तहसीलदार दौसा ने भी अपने जवाब में कथन किया है कि सैटलमेंट की कार्यवाही के दौरान साबिक खसरा नम्बर 43/1/7 से बने वर्तमान खसरा नम्बर 301 की किस्म सैटलमेंट विभाग की गलती से बंजड बीड के स्थान पर गै.मु. नला दर्ज कर दी गयी है। जबकि साबिक खसरा नम्बर 43/1/7 की किस्म बंजड बीड रही है। इस प्रकार तहसीलदार दौसा के जवाब से यह साबित होता है कि साबिक खसरा नम्बर 43/1/7 से बने वर्तमान खसरा नम्बर 301 की किस्म सैटलमेंट विभाग की गलती से बंजड बीड के स्थान पर गै.मु. नला दर्ज कर दी गयी है, जो साबिक रिकॉर्ड अनुसार दुरुस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम सुदर्शनपुरा तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 301 रकबा 0.44 है. के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किस्म "गै.मु. नला" को दुरुस्त कर साबिक रिकॉर्ड अनुसार किस्म "बंजड बीड" अंकित की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।




(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड आधिकारी
दौसा (राज०)